


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 30-3-17


संख्या-7/स्था0-1-3-03/2006सा0प्र0 2909 / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-10082 दिनांक 14.02.2017 के अनुशंसा पर विभागीय अधिसूचना संख्या-528 दिनांक 16.01.2017, जिससे श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को निबंधक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्गत आदेश को स्थगित करते हुए महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-14864 दिनांक 02.03.2017 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद को निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-03/2006सा0प्र0 2909 / पटना-15, दिनांक 30-3-17
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-03/2006सा0प्र0 2909 / पटना-15, दिनांक 30-3-17
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-14864 दिनांक 02.03.2017 एवं पत्रांक-10082 दिनांक 14.02.2017 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद/श्री जय प्रकाश सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना/श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।